न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्षः– श्री एम0के0 सिंह
सदस्य

प्रकरण क्रमांक निगरानी 1439–तीन/2003 के विरूद्ध पारित आदेश दिनांक 29–08–2003 के द्वारा अपर आयुक्त चम्बल संभाग, मुरैना के प्रकरण क्रमांक 237/2000–01/अपील

....

1– परसाराम पुत्र भोगीराम
2– खरगौले पुत्र मथुराप्रसाद
निवासीगण– ग्राम मिथनपुरा,
तहसील व जिला–भिण्ड, म0प्र0

.........................आवेदकगण

विरूद्ध

1– कलावती बेवा सत्य नारायण
2– सरदार पुत्र बनवारी
निवासीगण–ग्राम पचौखरा,
तहसील व जिला–भिण्ड

.........................अनावेदकगण

....

श्री एस0के0 अवस्थी, अभिभाषक, आवेदकगण
....

आदेश

(आज़ दिनांक 20.9.2016 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी अपर आयुक्त चम्बल संभाग, मुरैना द्वारा प्रकरण क्रमांक 237/2000–01/अपील में पारित आदेश दिनांक 29–08–2003 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959 (संक्षेप में आगे जिसे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण संक्षेप में यह है कि ग्राम पचोखरा तहसील व जिला–भिण्ड स्थित विवादित भूमि सर्वे क्रमांक 343 रकबा 5 बीघा विस्वा पटवारी कागजात में चरनोई के नाम से दर्ज है तथा इसी में ग्राम का निस्तार हो रहा है । बंदोबस्त के बाद का नया आराजी क्रमांक 344 रकबा 0.93 यानी 4 बीघा 13 विस्वा है। उसमें से 4 बीघा 13 विस्वा चरनोई से काबिल काश्त सहायक बंदोबस्त अधिकारी, भिण्ड ने अपने प्रकरण क्रमांक 10/92–93/ में घोषित किया है तथा 13 विस्वा शेष रकबा निरस्तार हेत एवं चरनोई हेत रखा गया है । सहायक बंदोबस्त

अधिकारी, भिण्ड के इसी आदेश के विरूद्ध अनावेदकगण द्वारा अनुविभागीय अधिकारी, भिण्ड के न्यायालय में अपील पेश की गई, जो प्रकरण क्रमांक 28/1999–2000/अपील माल में दर्ज होकर दिनांक 31.01.2000 को अनावेदकगण की अपील स्वीकार किया जाकर सहायक बंदोबस्त अधिकारी, भिण्ड के द्वारा प्रकरण क्रमांक 10/93–93/ में पारित आदेश को निरस्त करते हुये आदेश पारित किया गया । अनुविभागीय अधिकारी, भिण्ड के इसी आदेश से परिवेदित होकर आवेदकगण द्वारा द्वितीय अपील अपर आयुक्त चम्बल संभाग, मुरैना के समक्ष पेश की गई । न्यायालय अपर आयुक्त ने प्रकरण क्रमांक 237/2000–01/अपील दर्ज किया तथा दिनांक 29.08.2003 को आदेश पारित करते हुये अनुविभागीय अधिकारी, भिण्ड के आदेश को स्थिर रखा और आवेदकगण के द्वारा प्रस्तुत द्वितीय अपील को सारहीन मानकर अस्वीकार किया गया । इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदकगण के अधिवक्ता द्वारा तर्क प्रस्तुत कर बताया कि बन्दोबस्त के समय धारा 237 की शक्तियां सहायक बंन्दोबस्त अधिकारी को प्रदत की गई है । ऐसी स्थिति में सहायक बंन्दोबस्त अधिकारी की आज्ञा को अधिकारी रहित नहीं माना जा सकता है । अपीलीय न्यायालयों ने अवधि के प्रश्न का निराकरण भी विधि के विरूद्ध किया है । अनुविभागीय अधिकारी, भिण्ड के समक्ष जो अपील प्रस्तुत की गई थी, वह अवधिबाह्य थी, किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने अनुविभागीय अधिकारी, भिण्ड के द्वारा पारित आदेश को यथावत रखा है, जो कि विधि के विपरीत है । आवेदकगण के अभिभाषक द्वारा तर्क में यह भी बताया गया कि सत्यानारायण की मृत्यु के उपरांत अनावेदक कलावती को रिकार्ड पर नहीं लिया गया है और न ही अंतिम आदेश तक पक्षकार बनाया गया है । मृत व्यक्ति के विरूद्ध आदेश पारित किया गया है । उक्त प्रकरण कलेक्टर के न्यायालय से बंदोबस्त खत्म हो जाने के कारण अनुविभागीय अधिकारी, भिण्ड की ओर सुनवाई हेतु भेजा गया था, जिसमें 03.01.2000 को सुनवाई हेतु प्रकरण नियत किया गया था, जबकि प्रकरण प्राप्त होने के बाद प्रकरण की सुनवाई दिनांक 03.01.2000 के आदेश का पालन करना चाहिये था तथा प्रकरण का निराकरण गुण–दोषों के आधार पर करना चाहिये था, किन्तु प्रकरण में ऐसा नहीं किया गया । अधीनस्थ न्यायालय ने इन महत्वपूर्ण बिन्दु पर ध्यान दिये बिना ही आदेश पारित किया है जो त्रुटिपूर्ण है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश निरस्त करते हुये आवेदकगण के द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार किया जावे ।

4/ अनावेदकगण सूचना उपरांत अनुपस्थित होने से उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जाती है ।

5/ मेरे द्वारा उभयपक्ष के अभिभाषकों के तर्क श्रवण किये गये तथा अधीस्थ न्यायालय के अभिलेख का भलीभांति परिशीलन किया गया। प्रकरण के अवलोकन से पाया जाता है कि साहयक बन्दोबस्त अधिकारी, भिण्उ ने परिवर्तन सूची पर ही विवादित भूमि को चरनोई से काबिल काश्त घोषित कर दिया । सहायक बन्दोबस्त अधिकांरी का प्रश्नाधीन आदेश प्रथम दृष्टया ही अवैध आदेश है । संहिता की धारा 237(2) के अनुसार कलेक्टर की मंजूरी से ही चरनोई भूमि को काबिल काश्त घोषित किया जा सकता है । इसके लिये भी एक प्रक्रिया निर्धारित की गई है । इस प्रकरण में जो शक्तियां कलेक्टर को दी गई है उनका प्रयोग सहायक बन्दोबस्त अधिकारी द्वारा किया गया है जो न केवल विधि विरूद्ध है बल्कि आपत्तिजनक है । अधिकारिता रहित आदेश के विरूद्ध अपील प्रस्तुत करने के लिये कोई अवधि निर्धारित नहीं की गई है । अधिकारिता रहित आदेश के विरूद्ध कभी भी अपील व निगरानी प्रस्तुत की जा सकती है । चरनोई भूमि सार्वजनिक निरस्तार की भूमि होती है, जिसके संबंध में प्रत्येक ग्रामवासी हितबद्ध पक्षकार होता है । सार्वजनिक निस्तार की भूमि से संबंधित किसी भी आदेश के विरूद्ध कोई भी ग्रामवासी अपील व निगरानी कर सकता है । इसी आधार पर अपर आयुक्त चम्बल संभाग, मुरैना द्वारा जो आदेश पारित किया है वह भी गलत नहीं है । मैं अपर आयुक्त चम्बल संभाग, मुरैना के आदेश से सहमत हूँ ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर मैं इस निष्कर्ष में पहूँचा हूँ कि अनुविभागीय अधिकारी, भिण्ड द्वारा पारित आदेश एवं न्यायालय अपर आयुक्त चम्बल संभाग, मुरैना द्वारा पारित आदेश सम्मवर्ती होने से उसमें हस्तक्षेप करने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती । अतः अनुविभागीय अधिकारी, भिण्ड द्वारा पारित आदेश दिनांक 31.01.2000 एवं अपर आयुक्त चम्बल संभाग, मुरैना द्वारा पारित आदेश दिनांक 28.08.2003 विधिसंगत होने से स्थिर रखा जाता है । फलतः आवेदकगण के द्वारा प्रस्तुत निगरानी सारहीन होने से खारिज की जाती है । प्रकरण समाप्त होकर दाखिल रिकार्ड हो ।

(एम0के0 सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर